रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

## सरकार ने कास्टिक सोडा के लिए संशोधित गुणवत्ता मानकों को अनिवार्य बनाया

## यह कदम प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' विजन के अंतर्गत घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन देना : श्री अनंत कुमार

Posted On: 17 OCT 2017 6:50PM by PIB Delhi

केनुद्रीय रसायन और उर्वरक तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री अनंत कुमार ने आज घोषणा की कि सरकार कास्टिक सोडा के मामलें में घरेलू निर्माताओं के साथ-साथ आयात के लिए संशोधित गुणवत्ता मानकों को अनिवार्य बनाएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री श्री नरेनुद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' विजन के अंतर्गत घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

संशोधित गुणवत्ता मानक भारतीय मानक ब्यूरो की विशिष्टताओं का अनुपालन करते हैं। इससे कास्टिक सोडा बनाने वाले उद्योग के लिए अधिक ऊर्जा सक्षम झिल्ली आधारित प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आवश्यक हो जाएगा। यह प्रौद्योगिकी भारतीय मानक ब्यूरो की विशिष्टताओं का अनुपालन करने वाली होगी और इससे अच्छी श्रेणी का कास्टिक सोडा उत्पादन और आयात की अनुमति होगी। यह स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए लाभकारी होगा।

श्री अनंत कुमार ने अल्कली मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बैठक को सम्बोधित करते हुए आश्वासन दिया कि भारत में अल्कली उद्योग के विकास के लिए सरकार स्वास्थ्य और पर्यावरण के अनुकूल आधारों पर समर्थन देती रहेगी।

नवीनतम ऊर्जा सक्षम झिल्ली सेल टेक्नोलॉजी अपनाने से पहले कास्टिक सोडा उत्पादन में पारा आधारित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता था और स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पारे का दुष्प्रभाव पड़ता था।

\*\*\*

वीके/एजी/वीके- 5100

4

(Release ID: 1506406) Visitor Counter: 16









in